UPBB010065942021

न्यायालय: **विशेष न्यायाधीश (एम०पी०/एम०एल०ए०)/** अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं.**04,** बाराबंकी।

सत्र परीक्षण वाद सं० 1990/2021

सरकार बनाम अमित कुमार आदि।

अपराध सं. 16 /2015
धारा 147, 148, 149, 302, 364, 201, 216 भा०दं०सं०,
थाना बदोसराय, जिला बाराबंकी।

निस्तारण प्रार्थनापत्र **60 ब एवं 62 ब**

आदेश पत्र

दिनांक: 09–09–2022

विशेष सत्र परीक्षण पत्रावली वास्ते आदेशार्थ प्रार्थनापत्र प्रस्तुत हुई।

पूर्व नियत तिथि पर डा० विजय के विद्वान अधिवक्ता के प्रार्थनापत्र 60 ब एवं 62 ब पर सुना जा चुका है। पत्रावली का परिशीलन किया गया।

प्रार्थी/अभियुक्त डा० विजय कुमार की तरफ से उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा अन्तर्गत धारा 207 दं०प्र०सं० व 208 दं०प्र०सं० में प्रार्थनापत्र 60 ब दिनांक 07–07–2022 को दिया गया। प्रार्थनापत्र में यह अनुरोध किया गया है कि बिना 207 दं०प्र०सं० व 208 दं०प्र०सं० की सम्यक प्रक्रिया का पालन किये बिना समस्त कार्यवाही आरम्भतः शून्य घोषित किया जाये। इस प्रार्थनापत्र के साथ आवेदक की ओर से माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा मनोज कुमार बनाम स्टेट आफ मध्य प्रदेश में पारित निर्णय दिनांकित 20–05–2022 की प्रति, शिखर श्रीवास्तव का त्याग पत्र, शिखर श्रीवास्तव का नो–ड्यूज प्रमाण पत्र, थाना बदोसराय की रिपोर्ट, एन०आई०सी० जनपद बहराइच द्वारा थानाध्यक्ष बदोसराय को दी गयी सूचना, शिखर श्रीवास्तव से सम्बंधित एन०आई०सी० बहराइच का प्रपत्र, शिखर श्रीवास्तव का कार्यभार ग्रहण करने का प्रार्थनापत्र, शिखर श्रीवास्तव की योगदान आख्या, शिखर श्रीवास्तव द्वारा कार्यभार ग्रहण करने सम्बंधी प्रपत्र, ट्यूलिप टेलीकाम लिमिटेड का प्रपत्र–तीन वर्क, सी०बी०सी०आई०डी० का विधि विज्ञान प्रयोगशाला को भेजा गया प्रपत्र (फोटोप्रति) अभिलेख प्रस्तुत किये गये। पुनः इसी क्रम में इस प्रकृति का एक अन्य प्रार्थनापत्र दिनांक 08–09–2022 प्रस्तुत कर संलग्नकों सहित यह अनुरोध किया गया है कि वर्णित

साक्ष्य यदि केस डायरी में उपलब्ध नहीं है तो 173(8) दं०प्र०सं० के तहत संकलित कराया जाये और संलग्नक विधि निर्णयों का पालन कराया जाये।

प्रस्तुत प्रार्थनापत्र, संलग्नकों तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस अपराध का संज्ञान दिनांक 22–04–2019 के क्रम में पत्रावली विचारण न्यायालय को दिनांक 04–12–2021 को प्राप्त हुई। दिनांक 04–12–2021 से आज तक अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप विरचित नहीं किया जा सका है। उपरोक्त प्रार्थनापत्रों के सादृश्य अभियुक्त की तरफ से दिनांक 08–08–2022 को प्रार्थनापत्र 46 ब प्रस्तुत किया गया था जिस पर न्यायालय द्वारा विस्तृत आदेश दिनांक 22–08–2022 को पारित किया जा चुका है। पुनः उसी प्रकृति का प्रार्थनापत्र 60 ब एवं 62 ब देकर मात्र जांच/विचारण को विलम्बित करने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों पर इस विशेष न्यायालय का गठन शीघ्रता से जांच/विचारण पूर्ण किये जाने के लिये किया गया है। इन प्रार्थनापत्रों में वर्णित तथ्यों पर विस्तृत आदेश दिनांक 22–08–2022 को इस न्यायालय द्वारा पारित किया जा चुका है। अपराधिक प्रकिृया में पुनर्विलोकन का कोई प्राविधान नहीं है। इस आधार पर प्रस्तुत प्रार्थनापत्र 60 ब दिनांकित 07–09–2022 तथा प्रार्थनापत्र 62 ब दिनांकित 08–09–2022 निरस्त किये जाने योग्य हैं।

आदेश

अभियुक्त डा० विजय की तरफ से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र 60 ब दिनांकित 07–09–2022 तथा प्रार्थनापत्र 62 ब दिनांकित 08–09–2022 निरस्त किया जाता है।

दिनांक 09–09–2022

(कमल कान्त श्रीवास्तव **)**
J.O. Code:UP01559
विशेष न्यायाधीश(एम.पी. एवं एम.एल.ए.)/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय सं.04, बाराबंकी।